संख्याः 523 / XXVII (1) / 2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा एवं बागेश्वर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनःःदिनांकः20 सितम्बर,2010**

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला अल्मोड़ा एवं बागेश्वर की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार जिला अल्मोड़ा एवं बागेश्वर की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त कुल धनराशि **₹ 30620000.00 (₹ तीन करोड़ छः लाख बीस हजार मात्र)** को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2 (1)– संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रारुड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्यथावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

(5)– उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त वि उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनरा का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3– इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

20|9|2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

<u>संख्याः 523 (1) /XXVII (1)/2010,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर उत्तराखण्ड।
9– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

20|9|2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव,वित्त

शासनादेश संख्या:- 523 :XXVII(1)/2010
दिनांक:: 20 :सितम्बर,2010 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ग्राम पंचायतों को विकासखण्डवार देय समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि	प्रथम किश्त
1	2	3	4	5	6
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	50	3676	915
		भिकियासैण	98	5387	1351
		चौखुटियॉ	99	6436	1607
		धौलादेवी	109	13252	3315
		द्वाराहाट	118	7961	1991
		हवलबाग	125	7370	1840
		लमगड़ा	97	8795	2199
		सल्ट	138	11328	2832
		स्याल्दे	93	9059	2270
		ताकुला	89	4875	1218
		ताडीखेत	130	12338	3079
		योग:-	**1146**	**90477**	**22617**
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	181	13382	3344
		गरूड़	101	6271	1563
		कपकोट	115	12381	3096
		योग:-	**397**	**32034**	**8003**
		महायोग:-	**1543**	**122511**	**30620**

(रू0 तीन करोड़ छः लाख बीस हजार मात्र)

20/9/2010
(एल.एम. पन्त)
सचिव, वित्त।